निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 309/2019 प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत

इनानी सिक्युरीटीज एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जरिए डायरेक्टर हरीश इनानी पुत्र श्री गोवर्धनलाल जी इनानी, निवासी 32ए कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

— प्रार्थी

बनाम

1- परथु पिता रूघनाथजी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2- नाथूलाल रूघनाथ जी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3- कमला पिता रूघनाथजी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4- गंगाबाई पिता रूघनाथ जी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5- मदन पिता अम्बालाल जी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6- हरीश पिता अम्बालाल जी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7- ललिता पिता अम्बालाल जी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8- ममता पिता अम्बालालजी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9- रतनी पत्नी अम्बालालजी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10- रोशन पत्नी अम्बालाल जी जाट निवासी बोरियाणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
11- अधिकारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.11.03 11:35:15 IST
Reason: SelfAttested

जिससे विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण अपने मकसद मे सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि वे प्रार्थी की स्वामित्व आधिपत्य की भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बेह, बख्शीश, अन्तरण नही करें एवं करावें।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात पैतृक होकर विपक्षीगण का हक निहित होने से स्व. रघुनाथ जी को विक्रय करने का अधिकार नही होने से तथाकथित पंजीकृत बेहनामे शून्य दस्तावेज है व शून्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का मालिक नही हो सकता, शून्य दस्तावेज विपक्षीगण की खातेदारी के मुकाबले निष्प्रभावी है अतः जवाब विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। यह सही है कि राजस्व रेकार्ड मे विवादित आराजीयात विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हैं लेकिन प्रार्थी ने विवादित आराजीयात पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की हैं। पंजीकृत विक्रय पत्र तब तक प्रभावी रहते है, जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करा दिए जाते एवं हक तथा स्वत्व अधिकार सम्बन्धी निर्णय वाद पत्र मे बाद सुनवाई साक्ष्य-सबूत के आधार पर निर्भर होगा, तब तक विपक्षीगण द्वारा विवादित भूमि का दिगर व्यक्तियों को अन्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे अधिक हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राज. टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बोदियाना पटवार हल्का धोलेकलां तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 391, 392 कीता 2 रकबा 1.26 हे. एवं आराजी नम्बर 385 रकबा 0.09 हे. मे प्रार्थी द्वारा क्रय हिस्से तक को ताफैसला वाद अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बेह, बख्शीश, अन्तरण नही करें एवं करावे तथा विवादित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी दस्तन्दाजी नही करें एवं करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29/10/2020 को सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.11.03 11:35:15 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम ... बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
... (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया करने पर विपक्षीगण ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजीयात विपक्षीगण के पिता व दादा स्वर्गीय रघुनाथ जी की पैतृक कृषि आराजीयात हैं, जिसमें विपक्षीगण स्व. रघुनाथजी के उत्तराधिकारी होने से विपक्षीगण का भी हक व हिस्सा निहित हैं, जिसको स्व. रघुनाथजी को अकेले को विक्रय करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नही था व स्व. रघुनाथजी को उक्त आराजीयात विक्रय करने का अधिकार नही होने से उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम पर स्वीकृत नही हुआ है व विवादित आराजीयात मौजा बोदियाना की आराजी नम्बर 391 व 392 विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होकर विपक्षीगण के ही स्वामित्व एवं आधिपत्य मे चली आ रही हैं। आ.नं. 385 रकबा 0.09 हे. किस्म आ.चा. जो विपक्षीगण के खातेदारी मे दर्ज हैं व उसी से विपक्षीगण की आराजी नं. 391, 392 सिंचित होती है, उक्त चाह मे भी प्रार्थी को किसी प्रकार का हक व अधिकार नही हैं। शून्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को उक्त आराजीयात अपने नाम पर दर्ज कराये जाने का अधिकार प्राप्त नही हैं। रघुनाथजी ने प्रार्थी को जो रजिस्ट्री करवायी हैं वह विपक्षीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले शुन्य दस्तावेज है व शुन्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता हैं, उक्त आराजीयात विपक्षीगण के कब्जे काश्त मे होकर रघुनाथजी की मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड चली आ रही हैं, जिससे प्रार्थी अपने नाम दर्ज करवाये जाने का अधिकारी नही हैं। अतः विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

उभय पक्ष बहस प्रकरण सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि आराजीयात पंजीकृत पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राप्त किया गया। विपक्षीगण मात्र राजस्व रेकार्ड मे नाम अंकित होने से प्रार्थी को आराजीयात से बेदखल कर विवादित भूमि को दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर अन्तरित करने पर आमादा हैं,

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.11.03 11:35:15 IST
Reason: SelfAttested

का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष मे नही हो पाया।

राजस्व मे हर चार साल मे जमाबन्दी का सेटेलमेन्ट बदला जाता है, न्यायालय मुंडाक मे विवाद विचाराधीन होने के कारण इंतकाल नही खुल पाया था जिसके कारण जमाबन्दी मे पूर्व की प्रविष्टियां चली आ रही थी इसी बीच रघुनाथमी पिता कालू जाट विक्रेता का स्वर्गवास हो जाने से विरासती इंतकाल खोले गए। विरासती इतंकाल के अनुसार जमाबन्दी के सेटेलमेन्ट मे विक्रेता के उत्तराधिकारी जो विपक्षी संख्या 1 से 4 तक एवं विपक्षी संख्या 5 से 10 के पिता अम्बालाल के नाम खाता खोला गया तथा अम्बालाल का स्वर्गवास होने पर अम्बालाल के उत्तराधिकारी विपक्षी संख्या 5 से 10 हैं। विपक्षी संख्या 1 से 10 का बिना किसी ~~स्वत्व~~ स्वत्व, हित, अधिकार के रेवेन्यु रेकार्ड मे नाम अंकित होने का फायदा उठाकर अन्य दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर अंतरित करने पर आमादा है, जिस पर प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की बताकर आम सूचना दिनांक 17/9/2019 को समाचार पत्र मे प्रकाशित कराई। प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि की नवीनतम जमाबन्दी निकलाने पर ज्ञात हुआ कि विपक्षी ने उक्त भूमि को इलाहबाद बैंक के रहन रख दी हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि को धोखे पूर्वक अंतरित करने पर आमादा हैं, अगर विपक्षीगण प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि को विक्रय अंतरित करने मे सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः प्रार्थी विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी हैं। विपक्षीगण ने प्रार्थी को सरदस्त दिनांक 10/10/2019 को धमकी दी कि हम रेवेन्यु इन्द्राज के आधार पर भूमि को बैंक के रहन कर दी, अब अंतरित कर देगें और ताकत के बल पर भूमि से हटा कर कब्जा प्राप्त कर लेगें। अतः विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को धमकी देने की दिनांक 10/10/2019 से प्रार्थना पत्र कारण हुआ एवं हो रहा हैं। अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष मे, विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान की जावे कि विपक्षी प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि मे दखलन्दाजी दस्तान्दाजी नही करें तथा कृषि भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बेच, बक्षीस, अन्तरण नही करें एवं करावें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.11.03 11:35:15 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टे.एक्ट
उपस्थिति : 1- श्री अमित जाट अधिवक्ता प्रार्थी
2- श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 29/10/2020

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा विरुद्ध विपक्षीगण उक्त अनवान का वाद प्रस्तुत किया है, जिसका निस्तारण निश्चय ही प्रार्थी के पक्ष मे होगा किन्तु वाद के निस्तारण मे समय लगने की सम्भावना है। ग्राम कोटियाना पटवार हल्का धनेतकला मे प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात जिसके पुराने खाता संख्या 9 एवं वर्तमान खाता संख्या 13 आराजी 391, 392 रकबा 1.26 हे० एवं आराजी नम्बर 385 रकबा 0.09 हे० स्थित है। खाता संख्या 9 के पूर्व के खाता नम्बर 120 सम्वत् 2058-2061 जिसके खातेदार रघुनाथ पिता काबू जाट थे। आराजी नं. 391 रकबा 0.67 एवं आराजी नं. 392 रकबा 0.59 हे० यानि कुल कीता 2 रकबा 1.26 हे० को प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता एवं 5 से 10 के पूर्वज रघुनाथ जी के जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20/7/1998 से आराजी नम्बर 392 एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/2/1996 से आराजी नम्बर 391 क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन न्यायालय कलेक्टर स्टाम्प भीलवाडा के यहां विवाद विचाराधीन होने से पंजीयन नही हो पाया। मुद्रांक कलेक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 20/6/2002 अनुसार दिनांक 04/7/2002 को उक्त विक्रय पत्र पंजीयन किए गए लेकिन उक्त आराजी नम्बर 391 व 392 पर प्रार्थी को विक्रय पत्र दिनांक 01/2/1996 व 20/7/1998 से विक्रेता रघुनाथ जी जाट ने कब्जा सिपुर्द कर दिया था तब से उक्त कृषि आराजीयात पर प्रार्थी अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य से काबिज चला आ रहा है। आराजी नं. 391 व 392 की सिंचाई आराजी नम्बर 385 आ.चा. से होती है, विक्रेता से हिस्सा क्रय किया परन्तु न्यायालय मुद्रांक भीलवाडा के यहां प्रकरण विचाराधीन हो[illegible] आराजीयात

न्यायालय सहायक कलेक्टर, [illegible]

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.11.03 11:35:15 IST
Reason: SelfAttested